19-06-2023

सब्सिडी पर विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट

समाचार पत्रों में क्यों?

विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट में कृषि, मछली पकड़ने और जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों को अक्षम रूप से सब्सिडी देने के नकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।

त्वरित मुद्दा?

- रिपोर्ट ने गणना की कि तीन क्षेत्रों में सब्सिडी $7 ट्रिलियन से अधिक है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के आठ प्रतिशत के बराबर है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8% के बराबर, 3 क्षेत्रों में सब्सिडी (आमतौर पर संकट में अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए माना जाता है) 57 ट्रिलियन से अधिक हो गई।
- 2021 में, देशों ने तेल, गैस और कोयले जैसे प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों की कीमत सक्रिय रूप से कम करने के लिए $577 बिलियन खर्च किए।
- विशिष्ट इनपुट खरीदने या विशेष फसल उगाने के लिए कृषि सब्सिडी (विश्व स्तर पर $1 ट्रिलियन से अधिक) किसानों पर लक्षित है।
- हालाँकि, ये सब्सिडी धनी किसानों के पक्ष में होती है, तब भी जब कार्यक्रमों को गरीबों तक पहुँचने के लिए लक्षित किया जाता है।
- मात्स्यिकी क्षेत्र को सब्सिडी के रूप में प्रति वर्ष 35.4 बिलियन प्राप्त होता है और लगभग 22.2 बिलियन डॉलर ओवरफिशिंग
- **सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव:**
  - सब्सिडी जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है वायु प्रदूषण का कारण बनती है।
  - घटता मछली स्टॉक।
  - अकुशल सब्सिडी उपयोगपिछले 30 वर्षों में पानी में सभी नाइट्रोजन प्रदूषण के लगभग 17% के लिए गलत सब्सिडी जिम्मेदार है।
  - श्रम उत्पादकता को 3.5% तक कम करने वाले स्वास्थ्य प्रभाव पैदा हो रहे हैं।

ओपन मार्केट सेल स्कीम

समाचार पत्रों में क्यों?

केंद्र सरकार ने सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS)के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री रोक दी है। इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर असर पड़ेगा।

त्वरित मुद्दा?

- ओएमएसएस के तहत, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खुले बाजार में ई-नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को बेचता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इस कदम से कर्नाटक सहित कुछ राज्य प्रभावित होंगे, जो गरीबों को मुफ्त अनाज देते हैं।
- हालांकि कर्नाटक सरकार को इस फैसले से पहले ही अवगत करा दिया गया है, जिसने ओएमएसएस के तहत 13,819 टन चावल की मांग की थी।
- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने कहा कि ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और कानून और व्यवस्था की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले राज्यों के लिए 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की मौजूदा दर पर जारी रहेगी।
- भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न की आपूर्ति बढ़ाने हेतु समय-समय पर खुले बाजार में ई-नीलामी के माध्यम से पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक को बेचता है।
- इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा धारित गेहूँ और चावल के अधिशेष स्टॉक का निपटान करना तथा खुले बाजार में गेहूँ के मूल्य को विनियमित करना है।
- भारतीय खाद्य निगम गेहूँ की ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) के प्लेटफॉर्म पर साप्ताहिक नीलामी आयोजित करता है।
- भारतीय खाद्य निगम एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत पूरे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
- भारतीय खाद्य निगम खाद्य संबंधी कमी या संकट के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है।
- भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हेतु उत्तरदायी है। यह ई-नीलामी भी आयोजित करता है जो कि अधिशेष खाद्यान्न से निपटने के तरीकों में से एक है।

ओबीसी की केंद्रीय सूची

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले महीनों में छह राज्यों में लगभग 80 और जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में जोड़े जाने की संभावना है।

त्वरित मुद्दा?

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने आठ राज्यों - असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के संबंध में कुल 28 बदलावों की सिफारिश की थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

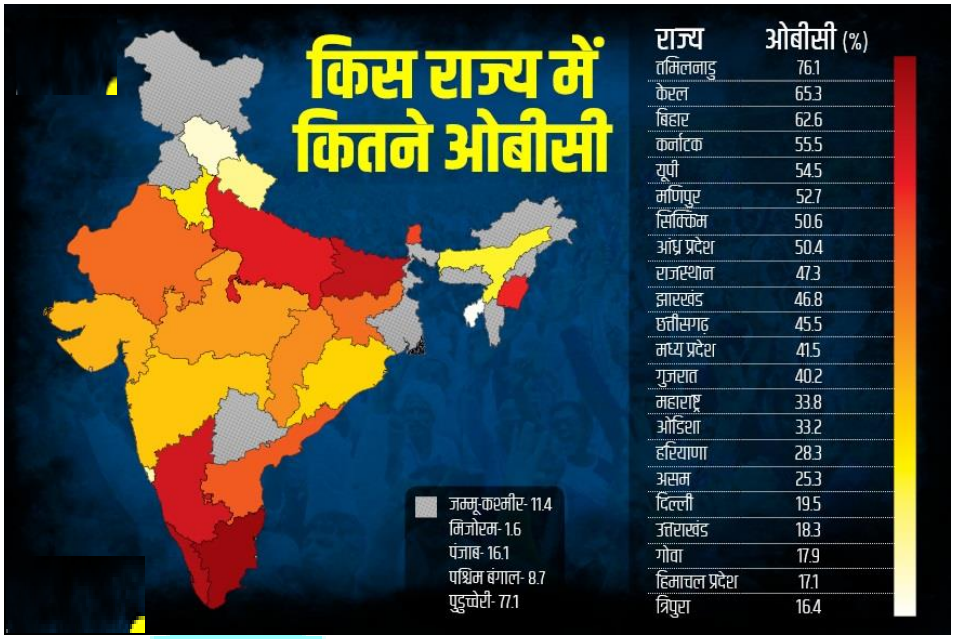

- हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में ओबीसी की केंद्रीय सूची में 16 समुदायों को जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई थी।
- केंद्रीय सूची में जोड़े जाने वाले समुदायों के महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से होने की संभावना है।
- तेलंगाना सरकार ने अनुरोध किया है कि वर्तमान में राज्य ओबीसी सूची के तहत सूचीबद्ध लगभग 40 समुदायों को केंद्रीय सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
- दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश ने तुरुप कापू समुदाय को जोड़ने की मांग की है, जबकि हिमाचल प्रदेश ने मझरा समुदाय को जोड़ने के लिए कहा है।
- महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य में लोधी, लिंगायत, भोयार पवार, झंडसे समुदायों को भी ओबीसी की केंद्रीय सूची में जोड़ा जाए।
- इसी तरह, पंजाब ने यादव समुदाय को शामिल करने और हरियाणा को गोसाई गोसाई समुदाय को शामिल करने के लिए कहा है।
- **केंद्रीय सूची में जोड़ने की प्रक्रिया:**
  - राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजते हैं।
  - एनसीबीसी अधिनियम, 1993 में निर्धारित परिवर्धन की प्रक्रिया के अनुसार, आयोग को ऐसे प्रस्तावों की जांच करने के लिए एक खंडपीठ का गठन करना अनिवार्य है।
  - आयोग प्रस्तावों की जांच के बाद केंद्र सरकार को अपने निर्णय को अग्रेषित करता है।
  - कैबिनेट को तब परिवर्धन को मंजूरी देने और इस आशय का कानून लाने की आवश्यकता होती है, जिसके बाद राष्ट्रपति को परिवर्तन को अधिसूचित करने का अधिकार होता है।

MQ-9B सशस्त्र ड्रोन

समाचार पत्रों में क्यों?

भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी है।

त्वरित मुद्दा?

- 27 घंटे से अधिक की सहनशीलता और 50,000 फीट तक की परिचालन क्षमता वाले ड्रोन भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- MQ-9B ड्रोन MQ-9 "रीपर" का एक वेरिएंट है जिसका उपयोग काबुल में अल-कायदा नेता अयमान अल-जवाहिरी को मारने वाली हेलफायर मिसाइल के संशोधित संस्करण को लॉन्च करने के लिये किया गया था।
- MQ-9B के दो वेरिएंट स्काई-गार्जियन और इसका सिबलिंग सी-गार्जियन हैं। भारतीय नौसेना वर्ष 2020 से MQ-9B सी-गार्जियन का संचालन कर रही है।
- यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर कार्य कर सकता है जिससे उच्च ऊँचाई वाले हिमालयी सीमा क्षेत्रों में भारतीय सेना को व्यापक निगरानी क्षमता मिलती है।
- इस प्रीडेटर की 40 घंटे की अधिकतम उड़ान क्षमता भी है जो इसे लंबे समय तक निगरानी के लिये उपयोगी बनाता है।
- MQ-9B ड्रोन स्वचालित टेक-ऑफ और लैंडिंग, डिटेक्ट एंड एवॉइड सिस्टम, एंटी-स्पूफिंग जीपीएस तथा एन्क्रिप्टेड संचार लिंक जैसी उन्नत सुविधाओं से लैस है।
- भारत को विशेष रूप से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के संदर्भ में अपनी भूमि तथा समुद्री सीमाओं पर निगरानी एवं स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिये MQ-9B, सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता है।

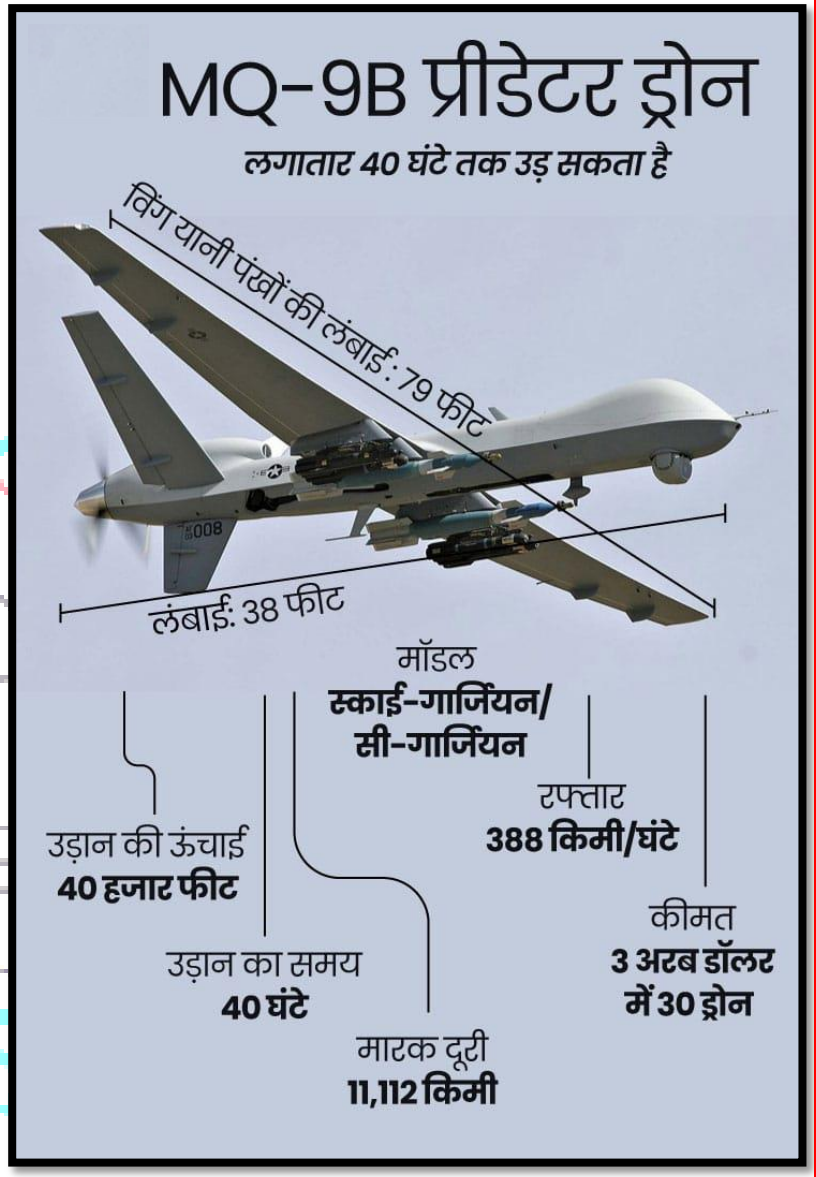

- हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने लिये संचार और व्यापार के अपने महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की रक्षा के लिये भारत को MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता है।
- भारत को कश्मीर और अन्य आतंकवादग्रस्त क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिये MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की आवश्यकता है।